

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 60/2022

निर्णय दिनांक :- 15/6/22

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. राजस्थान भूदानयज्ञ बोर्ड जयपुर खातेदार नूरअहमद पुत्र वजीरअहमद जाति मुसलमान निवासी इन्दोदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

तहसीलदार महोदय नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी-

उपस्थिति:-

श्री राजेश कुमार धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थी


तहसीलदार नगरफोर्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जेकाशत एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 153 खसरा नम्बर 480/932 रकबा 4.00 है0, वाके ग्राम इन्दोदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी को राजस्थान भूदानयज्ञ बोर्ड जयपुर द्वारा काशत करने के लिये आवंटित किया हुआ है। इस कारण से प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोकें पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई।




तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:-
आवेदको के कब्जेकाश्त व खातेदारी में दर्ज है। आवेदक का पड़ोसी खातेदार
विवाद है। कालू पि० दुर्गालाल जाति कुम्हार सा० देह उनवान राजस्थान भू
खातेदार उपकृषक नाथी पुत्री सलीम पुत्र कल्लूखां हाजरा पत्नी कल्लूखा
मुसलमान सा० देह खातेदार से सीमा विवाद है। आवेदक का जिन खातेदारों से
विवाद है, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक
है। उक्त आराजी के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन प्राप्त नहीं है। आवेदक के
भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में
सीमाज्ञान नहीं नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र
स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन
किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य
है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व
पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क
राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में अंकित खाता संख्या 153 खसरा
नम्बर 480/932 रकबा 4.00 है०, वाके ग्राम इन्दोदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक
की विधिवत् पत्थरगढी आवेदक का कब्जाकाश्त होने पर किया जावे अन्यथा उक्त
आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अवगत करवा दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली